

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुकम

978
2018

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

शुला देवी / रामरव 2014

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

05/11/20

SDO
I
जयपुर
पत्र-94/11
तलब

12/11/20

23/11/20

पत्रावली कार्यालय ले तलब होकर आज प्रस्तुत हुयी। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित, LC की मिसल संलग्न की गयी। मिसल वाले अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 3/12/2020 को पेश हो।

03/12/20

पत्रावली प्रस्तुत हुई। कार्य उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्षद्वारा ने पक्षद्वारा के मध्य सहमति हो जाने से निर्णय व डिस्ट्री ऑर अपील निरस्त किये जाने एवं वाड वाडी बिट्टा करमाये जाने का निवेदन करते हुये कथन किया कि पक्षद्वारा ने यह सहमति हो गयी है कि वे अपनी समस्त ज़ाराबीपार का बयंवासा सहमति के आधार पर तदनुसार के समझ करेगे। मतः वाड वाडी बिट्टा करमाया जावे। चूंकि पक्षद्वारा द्वारा निर्णय व डिस्ट्री ऑर अपील निरस्त किये जाने एवं वाड बिट्टा किये जाने हेतु सहमति जाहेर की गयी है। मतः प्रकरण के गुणगुण पर कोर्ट परीक्षण किये बगैर मात्र उभयपक्षों की सहमति के आधार पर निर्णय व डिस्ट्री ऑर अपील दिनांक 28/12/2018 को निरस्त किये जाकर वाड वाडी बिट्टा किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तदनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। तदनुसार पत्रावली के क्रम अनुसार होकर वाड तदनुसार जाते हैं इन्फर हो।



कार्यालय राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर